



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092022-238946
CG-DL-E-21092022-238946

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462]
No. 462]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2022/भाद्र 29, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2022/BHADRA 29, 1944

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2022

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (तीसरा संशोधन)
विनियम, 2022

आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.097.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, धारा 207 और धारा 208 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 है।
(2) ये 1 अक्टूबर, 2022 से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) के विनियम 6 के उप-विनियम (1) में, "दस" शब्द के स्थान पर "बीस" शब्द रखा जाएगा।
- मूल विनियमों के विनियम 7 के उप-विनियम (2) में, -
(क) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

- “(ग) यदि दिवाला व्यावसायिक एक व्यष्टि है तो बीस हजार रूपए की फीस या यदि दिवाला व्यावसायिक एक दिवाला व्यावसायिक संस्था है तो दो लाख रूपए की फीस का संदाय उस वर्ष के पश्चात्, जिसमें प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है, प्रत्येक पांच वर्ष में बोर्ड को करेगा और ऐसी फीस का संदाय उस वर्ष की, जिसमें यह देय होती है, 30 अप्रैल को या उससे पूर्व किया जाएगा।

दृष्टांत

जहां रजिस्ट्रीकरण वर्ष 2021-22 में, 2 फरवरी, 2022 को प्रदान किया जाता है वहां फीस पांच वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 और 2026-27) के पश्चात् 1 अप्रैल, 2027 को देय हो जाएगी और वह 30 अप्रैल, 2027 को या उससे पूर्व संदेय होगी।”

- (ख) खंड (गक) में, -

(i) “0.25 प्रतिशत” अंक, दशमलव और शब्द के स्थान पर “एक प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे।

(ii) दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह और कि जहां दिवाला व्यावसायिक एक दिवाला व्यावसायिक संस्था है वहां वह बोर्ड को, प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को या उससे पूर्व दूसरी अनुसूची के प्ररूप छ में एक विवरणी सहित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा दिवाला व्यावसायिक के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के लिए अर्जित व्यावसायिक फीस के एक प्रतिशत की दर पर संगणित फीस का संदाय करेगी।”

- (ग) खंड (गक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(गख) बोर्ड को, दूसरी अनुसूची के प्ररूप डक में विवरणी सहित, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् तीस दिन की अवधि के भीतर या दिवाला समाधान प्रक्रिया के बन्द हो जाने पर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 31क के उप-विनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करेगा।

स्पष्टीकरण: “तिमाही” से किसी वित्तीय वर्ष के जनवरी, अप्रैल, जुलाई या अक्तूबर के प्रथम दिवस से प्रारंभ होने वाली तीन मास की अवधि अभिप्रेत है।”

4. मूल विनियमों के विनियम 12 के उप-विनियम (2) में, “पचास हजार” शब्दों के स्थान पर “दो लाख” शब्द रखे जाएंगे।

5. मूल विनियमों के विनियम 13 के उप-विनियम (2) के खंड (गक) में,-

(i) “0.25 प्रतिशत” अंक, दशमलव और शब्द के स्थान पर “एक प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे।

(ii) दूसरे परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह और कि यदि दिवाला व्यावसायिक संस्था, दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है तो इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ सेवाओं के अंतर्गत वे सेवाएं नहीं आएंगी जो विनियम 7 के उप-विनियम (2) के खंड (गक) के तीसरे परन्तुक के अधीन उपबंधित दिवाला व्यावसायिक के रूप में प्रदान की जाती हैं।”

6. मूल विनियमों की दूसरी अनुसूची में,-

(क) प्ररूप ड के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप डक

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 7(2)(गख) के अधीन]

सेवा में,

महाप्रबंधक (आई.पी. प्रभाग)

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

विषय: फीस की विवरणी

महोदय/महोदया

1. मैं(नाम अंतःस्थापित करें) कारपोरेट ऋणी-वार फीस का व्यौरा निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत करता हूँ:-

(क) कारपोरेट ऋणी का नाम.....

(ख) कारपोरेट ऋणी का कारपोरेट पहचान संख्यांक/एल.एल.पी.आई.एन.....

(ग)(व्यौरा अंतःस्थापित करें) को समाप्त तिमाही या प्रक्रिया बन्द होने की तारीख (तारीख अंतःस्थापित करें) के लिए

क्रम सं.	आई.आर.पी./ आर.पी. की हैसियत में प्रदान की गई सेवाएं	उपगत व्यय के व्यौरा (आदाता का नाम और सेवा की प्रकृति)	व्यय के मद्धे संदत्त रकम (रूपए)
1			
2			
3			
..			
कुल			

(टिप्पण – प्रत्येक कारपोरेट ऋणी के लिए पृथक् सारणी अंतःस्थापित की जाए)

2. निम्नलिखित रकमें बोर्ड को संदेय हैं:

क्रम सं.	किस विनियम के अधीन	संदेय रकम (रूपए)
1	विनियम 7(2)(गख)	
2	विनियम 15 के अधीन, जो कि.....से.....तक का ब्याज है	
कुल		

3. ऊपर पैरा 2 में निकाली गईरूपए की धनराशि बोर्ड के खाते मेंद्वारा जमा करा दी गई है।

4. मैं.....(नाम अंतःस्थापित करें) एतद्वारा प्रतिज्ञान करता हूँ कि –

(i) इस विवरणी में अंतर्विष्ट सभी जानकारी सभी प्रकार से सत्य और सही है, और

(ii) इस विवरणी के प्रयोजनार्थ सुसंगत कोई भी तात्विक जानकारी छिपाई नहीं गई है।

(iii) मैं.....(नाम अंतःस्थापित करें)(दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम अंतःस्थापित करें) दिवाला व्यावसायिक संस्था की ओर से यह प्ररूप प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत हूँ।

भवदीय,

(आई.पी./आई.पी. के रूप में रजिस्ट्रीकृत आई.पी.ई

स्थान:

के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)

तारीख:

(आई.पी. रजिस्ट्रीकरण संख्यांक)”

(ख) प्ररूप छ के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप छ

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 7(2)(गक) और विनियम 13(2)(गक) के अधीन]

सेवा में,

महाप्रबंधक (आई.पी. प्रभाग)

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

विषय: दिवाला व्यावसायिक संस्था द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की वार्षिक विवरणी

महोदय/महोदया

भाग क – विनियम 7(2) (गक) के अधीन सेवाओं के लिए

1. मैं(नाम अंतःस्थापित करें) जिसे इस प्रयोजनार्थ सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है(वित्तीय वर्ष अंतःस्थापित करें) वित्तीय वर्ष में.....(दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम अंतःस्थापित करें) दिवाला व्यावसायिक संस्था की ओर से निम्नलिखित रूप में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करता हूं:-

क्रम सं.	कारपोरेट ऋणी/ प्रत्याभूतिदाता का नाम	कारपोरेट ऋणी का कारपोरेट पहचान संख्यांक/एल.एल.पी.आई. एन./ प्रत्याभूतिदाता का पहचान संख्यांक	किसी कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में आई.आर.पी./आर.पी./कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में प्राधिकृत प्रतिनिधि/ परिसमापक/व्यष्टियों के लिए दिवाला समाधान में आर.पी./ शोधन अक्षमता न्यासी/अन्य, यदि कोई है के रूप में प्रदान की गई सेवाएं	वर्ष में प्रदान की गई सेवाओं मद्धे रकम (रुपयों में)
1				
2				
3				
..				
कुल				

भाग ख – विनियम 13(2)(गक) के अधीन सेवाओं के लिए

2. मैं(नाम अंतःस्थापित करें) जिसे इस प्रयोजनार्थ सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है(वित्तीय वर्ष अंतःस्थापित करें) वित्तीय वर्ष में.....(दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम अंतःस्थापित करें) दिवाला व्यावसायिक संस्था की ओर से फीस की वार्षिक विवरणी निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत करता हूं:-

क्रम सं.	कारपोरेट ऋणी/ प्रत्याभूतिदाता का नाम	कारपोरेट ऋणी का कारपोरेट पहचान संख्यांक/ एल.एल.पी.आई. एन./ प्रत्याभूतिदाता का पहचान संख्यांक	उस आई. पी. का नाम जिसने आई. आर.पी./आर.पी./ परिसमापक/ शोधन अक्षमता न्यासी/अन्य, यदि कोई है, के रूप में सेवा प्रदान की है	प्रदान की गई सेवाओं के प्रकार का संक्षिप्त विवरण	वर्ष में प्रदान की गई सेवाओं मद्धे रकम (रुपयों में)
1					
2					
3					
..					
कुल					

3. निम्नलिखित रकमें बोर्ड को संदेय हैं:

क्रम सं.	किस विनियम के अधीन	संदेय रकम (रुपए)
1	विनियम 7(2)(गक)	
2	विनियम 13(2)(गक)	
3	विनियम 15 के अधीन, जो कि.....से.....तक का ब्याज है	
कुल		

4. ऊपर पैरा 3 में निकाली गईरुपए की धनराशि बोर्ड के खाते मेंद्वारा जमा करा दी गई है।

5. मैं.....(नाम अंतःस्थापित करें) एतद्वारा प्रतिज्ञान करता हूँ कि -

(i) इस विवरणी में अंतर्विष्ट सभी जानकारी सभी प्रकार से सत्य और सही है, और

(ii) इस विवरणी के प्रयोजनार्थ सुसंगत कोई भी तात्विक जानकारी छिपाई नहीं गई है।

(iii) मैं.....(नाम अंतःस्थापित करें)(दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम अंतःस्थापित करें) दिवाला व्यावसायिक संस्था की ओर से यह प्ररूप प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत हूँ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम)

(पदनाम)

(दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम.....)

(दिवाला व्यावसायिक संस्था का मान्यता संख्यांक.....)

(दिवाला व्यावसायिक संस्था का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक.....)

स्थान:

तारीख: ”

रवि मित्तल अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./283/2022-23]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 424, तारीख 23 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.003, तारीख 23 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 449 तारीख 13 सितम्बर, 2022 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.092, तारीख 13 सितम्बर, 2022 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 द्वारा किए गए।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th September, 2022

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Third Amendment) Regulations, 2022

No. IBBI/2022-23/GN/REG097.—In exercise of the powers conferred by sections 196, 207 and 208 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Third Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force with effect from 1st October, 2022.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as ‘the principal regulations’), in regulation 6, in sub-regulation (1), for the words “ten”, the words “twenty” shall be substituted.

3. In the principal regulations, in regulation 7, in sub-regulation (2),

(a) for clause (c), the following shall be substituted, namely:-

“(c) pay to the Board, a fee of twenty thousand rupees, in case the insolvency professional is an individual or a fee of two lakh rupees, in case the insolvency professional is an insolvency professional entity, every five years after the year in which the certificate is granted and such fee shall be paid on or before the 30th April of the year it falls due.

Illustration

Where registration is granted on 2nd February, 2022 in the year 2021-22, the fee shall become due on 1st April, 2027, after five years (2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 and 2026-27) and it shall be paid on or before the 30th April, 2027.”

(b) in clause (ca),

(i) for the decimal, number and word “0.25 percent”, words “one per cent.” shall be substituted.

(ii) after second proviso, the following shall be inserted, namely:-

“Provided further that where the insolvency professional is an insolvency professional entity, it shall pay to the Board, a fee calculated at the rate of one per cent. of professional fee earned for the services rendered as an insolvency professional in the preceding financial year on or before the 30th day of April every year, along with a statement in Form G of the Second Schedule.”

(c) after clause (ca), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(cb) pay to the Board, a fee specified under sub-regulation (2) of regulation 31A of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, within a period of thirty days, after end of each quarter or upon closure of the processes whichever is earlier, along with a statement in Form EA of the Second Schedule.

Explanation: “quarter” means the period of three months commencing on the first day of January. April, July or October of a financial year.”

4. In the principal regulations, in regulation 12, in sub-regulation (2), for the words “fifty thousand”, the words “two lakh” shall be substituted.

5. In the principal regulations, in regulation 13, in sub-regulation (2), in clause (ca),

(i) for the decimal, number and word “0.25 percent”, the words “one per cent.” shall be substituted.

(ii) after second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that in case the insolvency professional entity is registered as an insolvency professional, the services for the purpose of this sub-regulation shall not include the services rendered as an insolvency professional provided under third proviso to clause (ca) of sub-regulation (2) of regulation 7.”

6. In the principal regulations, in the Second Schedule,

(a) after the Form E, the following form shall be inserted, namely:-

“FORM EA

[Under Regulation 7(2)(cb) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016]

To

The General Manager (IP Division)

Insolvency and Bankruptcy Board of India

Subject: Statement of Fee

Sir / Madam,

1. , [Insert name] hereby submit the corporate debtor-wise details of fee, as under:-

(a) Name of Corporate Debtor: _____

(b) Corporate Identification Number / LLP IN of Corporate Debtor: _____

(c) For quarter ended on [Insert Details] or date [Insert Date] of closure of process.

Sl. No.	Services rendered in the capacity of IRP / RP	Details of expense incurred (name of payee and nature of service)	Amount paid towards the expense (Rs.)
1			
2			
3			
...			
Total			

(Note – Separate table to be inserted for each corporate debtor)

2. The following amounts are payable to the Board:

Sl. No.	Under regulation	Amount Payable (Rs.)
1	Regulation 7(2)(cb)	
2	Regulation 15, being interest from ... to	
Total		

3. A sum of Rs. ..., as worked out in Para 2 above, has been deposited into the account of the Board, vide..... ..

4. I, [insert name], hereby affirm that –

- (i) all information contained in this statement is true and correct in all material respects, and
- (ii) no material information relevant for the purpose of this statement has been suppressed.
- (iii) I, [Insert Name], am duly authorised to submit this form on behalf of the insolvency professional entity [Insert name of the insolvency professional entity].

Yours faithfully,

Place:

(Name of IP / Authorised Signatory of IPE registered as IP)

Date:

(IP Registration Number) ”

(b) for the Form G, the following form shall be substituted, namely:-

“Form G

[Under Regulation 7(2)(ca) and 13(2)(ca) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016]

To

The General Manager (IPE Division)

Insolvency and Bankruptcy Board of India

Subject: Annual statement of services rendered by an insolvency professional entity

Sir / Madam,

Part A – For services under regulation 7(2)(ca)

1. I, [Insert name], being duly authorised for the purpose, hereby submit the annual statement for the insolvency professional entity [Insert name of the insolvency professional entity] in the financial year [Insert financial year], as under:

Sl. No.	Name of Corporate Debtor / Guarantor	Corporate Identification Number / LLPIN of Corporate Debtor / Identification Number of Guarantor	Services rendered as (IRP / RP in a Corporate Insolvency Resolution Process / Authorised Representative in a Corporate Insolvency Resolution Process/ Liquidator / RP in Insolvency Resolution for Individuals/ Bankruptcy Trustee / Other, if any)	Amount towards services rendered in the year (In Rs.)
1				
2				
3				
...				
Total				

Part B – For services under regulation 13(2)(ca)

2. I, [Insert name], having been duly authorised for the purpose, hereby submit the annual statement for the insolvency professional entity [Insert name of the insolvency professional entity] in the financial year [Insert financial year], as under:

Sl. No.	Name of Corporate Debtor / Guarantor	Corporate Identification Number / LLPIN of Corporate Debtor / Identification Number of Guarantor	Name of IP who rendered services as IRP / RP / Liquidator / Bankruptcy Trustee / Other, if any	Broad description of kind of service rendered	Amount towards services rendered in the year (In Rs.)
1					
2					
3					
...					
Total					

3. The following amounts are payable to the Board:

SI. No.	Under regulation	Amount Payable (Rs.)
1	Regulation 7(2)(ca)	
2	Regulation 13(2)(ca)	
3	Regulation 15, being interest from ... to	
Total		

4. A sum of Rs...., as worked out in Para 3 above, has been deposited into the account of the Board, vide.....

5. I, *[insert name]*, hereby affirm that –

- (i) all information contained in this statement is true and correct in all material respects and
- (ii) no material information relevant for the purpose of this statement has been suppressed.
- (iii) I, *[Insert Name]*, am duly authorised to submit this form on behalf of the insolvency professional entity *[Insert name of the insolvency professional entity]*.

Authorised Signatory

(Name)

(Designation)

(Name of the Insolvency Professional Entity-----)

(Recognition Number of the Insolvency Professional Entity----)

(Insolvency Professional Registration Number -----)

Place:

Date :....”

RAVI MITAL, Chairperson
[ADVT.-III/4/Exty./283/2022-23]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG003 dated 23rd November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 424 on 23rd November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2022 published *vide* Notification No. IBBI/2022-23/GN/REG092 dated 13th September, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 449 on 13th September, 2022.